Weekly Focus
#90 FEB 2023
VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

विश्व व्यवस्था
उद्भव और संभावित पतन

परिचय

द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शुरू हुई उदार विश्व व्यवस्था (वर्ल्ड ऑर्डर) को वर्तमान में रूस–यूक्रेन संकट के कारण कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आलोचना इसमें सुधारों की कमी एवं वीटो शक्ति के दुरुपयोग के लिए की जा रही है, लेकिन कई अन्य कारणों से भी वैश्विक व्यापार और वित्तीय संस्थानों को बार–बार संकटों का सामना करना पड़ रहा है, जैसे– 2008 का सब–प्राइम क्राइसिस, विश्व स्तर पर संरक्षणवाद में वृद्धि और हाल ही में कोविड–19 महामारी से उत्पन्न वित्तीय संकट जैसे मुद्दे। समकालीन विश्व के ये उदाहरण मौजूदा नियम–आधारित विश्व व्यवस्था में परिवर्तन की ओर इशारा कर रहे हैं।

इस संदर्भ में, हम अग्रलिखित प्रश्नों पर चर्चा करेंगे तथा उनका उत्तर खोजने का प्रयास करेंगे: विश्व व्यवस्था का क्या अर्थ है और विश्व व्यवस्था के विभिन्न प्रकार कौन–से हैं? नियम–आधारित विश्व व्यवस्था क्या है और इसकी आवश्यकता क्यों है? नियम–आधारित विश्व व्यवस्था को सुनिश्चित करने वाली संस्थाएं कौन–सी हैं? नियम–आधारित विश्व व्यवस्था के सामने कौन–सी चुनौतियां हैं? नियम–आधारित विश्व व्यवस्था में भारत की क्या भूमिका है? और, नियम–आधारित विश्व व्यवस्था में सुधार के लिए कौन–से कदम उठाए जाने की आवश्यकता है?

विश्व व्यवस्था का क्या अर्थ है और विश्व व्यवस्था के विभिन्न प्रकार कौन-से हैं?

बायलिस और स्मिथ द्वारा परिभाषित, विश्व व्यवस्था की अवधारणा में केवल राष्ट्र–राज्यों के मध्य संबंधों जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर ही चर्चा नहीं की गई है, बल्कि इसमें अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों, सरकारों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बीच संबंधों पर चर्चा की गई है। इस प्रकार इसके लिए वैकल्पिक रूप से 'वैश्विक व्यवस्था (ग्लोबल ऑर्डर)' शब्द का भी इस्तेमाल किया जा सकता है।

- दूसरे शब्दों में, विश्व व्यवस्था मानवीय प्रकृति और उद्देश्यों से संबंधित एक राजनीतिक–दार्शनिक अवधारणा है। इस प्रकृति एवं उद्देश्यों को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संदर्भ में देखा जाता है और उन्हें विश्लेषित किया जाता है।
- यह मानव समाज से जुड़े हुए मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करता है और अग्रलिखित समस्याओं के समाधान की तलाश करता है: युद्ध और हिंसा; आर्थिक संपत्ति का असमान वितरण एवं संकेंद्रण; सामाजिक अन्याय; पर्यावरणीय असंतुलन; समाज तथा मानव जाति से मनुष्य का खुद का अलगाव आदि।

विश्व व्यवस्था के विभिन्न प्रकार

- **उदार अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था (Liberal International Order):** इसका आशय खुली और नियम–आधारित एक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था से है। इसे संयुक्त राष्ट्र जैसे संस्थानों और बहुपक्षवाद जैसे मानदंडों में देखा जा सकता है।
- **परिवर्तनकारी (क्रांतिकारी) अंतर्राष्ट्रीयवाद Transformative (Revolutionary) Internationalism:** यह इस विश्वास पर आधारित है कि समाजों के भीतर संघर्ष अंतर्राष्ट्रीय कारकों और गठजोड़ों द्वारा निर्धारित होते हैं, जैसे– मिस्र पर संयुक्त राष्ट्र के प्रभाव का विरोध।
- **वाणिज्यवादी राष्ट्रवाद (Mercantilist nationalism):** यह आर्थिक राष्ट्रवाद का वह रूप है जो प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रथाओं के जरिए राष्ट्र की समृद्धि और शक्ति को बढ़ाने का प्रयास करता है।
- **रूढ़िवादी (संप्रभु) अंतर्राष्ट्रीयवाद {Conservative (Sovereign) Internationalism}:** यह राष्ट्र–राज्यों द्वारा संप्रभु निर्णय लेने पर बल देता है, लेकिन यह अंतर्राष्ट्रीयवाद के महत्व को भी समझता है, उदाहरण के लिए– ब्रिक्स।
- **वर्चस्ववादी अंतर्राष्ट्रीयवाद (Hegemonic Internationalism):** इसमें दुनिया को असमान शर्तों के आधार पर एकीकृत किया जाता है। इसमें एक राष्ट्र या राष्ट्रों के समूह का दूसरे पर प्रभुत्व होता है, उदाहरण के लिए– उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद।

नियम–आधारित विश्व व्यवस्था क्या है और इसकी आवश्यकता क्यों है?

नियम–आधारित व्यवस्था (Rules-Based Order: RBO) को सामान्यतः संयुक्त राष्ट्र चार्टर, रोम संविधि जैसे मौजूदा नियमों के अनुसार, राष्ट्रों द्वारा अपनी गतिविधियों के संचालन के लिए एक साझा प्रतिबद्धता के रूप में समझा जा सकता है। RBO का आधार द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विकसित वैश्विक शासन की एक प्रणाली है।

- RBO बाध्यकारी नियमों (जैसे– मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, परमाणु अप्रसार संधि आदि) और गैर–बाध्यकारी नियमों (जैसे– कॉप–25 के तहत राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान) के बीच अंतर को धुंधला करता है।
  - इससे यह आभास होता है कि सभी राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय अभिकर्ता इसके अधीन हैं, भले ही उन्होंने इसके लिए सहमति दी हो या नहीं।
- RBO को आम तौर पर सभी देशों द्वारा साझा प्रतिबद्धता के रूप में वर्णित किया जा सकता है, जो समय के साथ विकसित होने वाले सहमति आधारित नियमों के अनुसार अपनी गतिविधियों का संचालन करते हैं, जैसे– अंतर्राष्ट्रीय कानून, क्षेत्रीय सुरक्षा व्यवस्था, व्यापार समझौते, इमिग्रेशन प्रोटोकॉल और सांस्कृतिक व्यवस्था।

नियम–आधारित विश्व व्यवस्था की आवश्यकता क्यों है?

- इससे मुक्त बाजार, खुले व्यापार और वित्त के आधार पर एक परस्पर जुड़ी वैश्विक अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलता है, उदाहरण के लिए– विश्व व्यापार संगठन।
- यह विवादों पर चर्चा करने और उन्हें निपटाने, राष्ट्रों की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करने तथा सामूहिक विनाश के हथियारों के प्रसार को प्रतिबंधित करने के लिए एक मंच प्रदान करती है, उदाहरण के लिए– UN, IMF, UNSC आदि।
- यह राष्ट्रों के बीच शांतिपूर्ण, अपेक्षित और सहकारितापूर्ण व्यवहार को प्रोत्साहित करने वाले नियम लागू करती है, जो उदार मूल्यों और स्वतंत्रता, समानता जैसे सिद्धांतों के अनुरूप हों।
- यह लोकतांत्रिक मूल्यों और मानवाधिकारों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है तथा इससे भाईचारे और बंधुत्व की भावना को बढ़ावा मिलता है, उदाहरण के लिए– UNHRC आदि।

नियम-आधारित विश्व व्यवस्था को सुनिश्चित करने वाली संस्थाएं कौन-सी हैं?

राजनीतिक

- **संयुक्त राष्ट्र:** यह पूरे विश्व **में शांति और सुरक्षा बनाए रखने, मानवाधिकारों की रक्षा करने,** संधारणीय विकास को बढ़ावा देने और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को बनाए रखने के लिए काम करता है।
- **समुद्री कानूनों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (UN Convention on Laws of the Sea: UNCLOS):** इसे दुनिया के महासागरों और समुद्रों से संबंधित सभी गतिविधियों एवं उपयोगों को नियंत्रित करने के लिए प्राथमिक अंतर्राष्ट्रीय कानूनी ढांचा माना जाता है।

आर्थिक

- **ब्रेटन वुड संस्थाएं: IMF** और विश्व बैंक की स्थापना 1944 में की गई थी। इनका उद्देश्य **अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देते हुए वैश्विक एकीकरण के लाभों को पुनर्बहाल करना** और उन्हें बनाए रखने में मदद करना था।
- **विश्व व्यापार संगठन (WTO):** इसकी स्थापना 1995 में की गई थी। यह व्यापार नियमों की एक वैश्विक प्रणाली का संचालन करता है। साथ ही, यह व्यापार समझौतों पर चर्चा करने के लिए एक मंच के रूप में भी कार्य करता है।
- **विश्व बैंक:** यह **दीर्घकालिक निवेश परियोजनाओं,** संस्थागत अवसंरचना निर्माण तथा सामाजिक, पर्यावरणीय और गरीबी जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करता है।
- **अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF):** यह **अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली के काम-काज पर ध्यान केंद्रित करता** है। साथ ही, यह सतत आर्थिक विकास के लिए एक अनिवार्य घटक के रूप में ठोस मैक्रोइकोनॉमिक नीतियों को बढ़ावा भी देता है।

सामाजिक

- **संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (UN Human Rights Council: UNHRC):** यह संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के भीतर एक अंतर-सरकारी निकाय है जो दुनिया भर में मानवाधिकारों के प्रचार और संरक्षण के लिए उत्तरदायी है।
- **विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO):** यह वैश्विक स्तर पर स्वास्थ्य संबंधी मामलों में नेतृत्व प्रदान करने, मानदंडों और मानकों को स्थापित करने तथा स्वास्थ्य संबंधी रुझानों की निगरानी और आकलन करने के लिए उत्तरदायी है।

पर्यावरण

- **संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP):** इसकी स्थापना 1972 में हुई थी। यह संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के भीतर संधारणीय विकास के पर्यावरणीय आयाम के कार्यान्वयन में सुसंगतता (Coherence) को बढ़ावा देने की दिशा में काम कर रहा है।
- **जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC):** UNFCCC सचिवालय (UN क्लाइमेट चेंज) संयुक्त राष्ट्र की एक इकाई है। इसे **जलवायु परिवर्तन के खतरे के प्रति वैश्विक कार्रवाई का समर्थन करने का काम सौंपा गया है।**

विवाद निपटान

- **अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC): ICC अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से संबंधित** अपराधों, जैसे- नरसंहार, युद्ध अपराध, मानवता के खिलाफ अपराध और आक्रामकता संबंधी अपराध के **आरोपी व्यक्तियों की जांच करता है तथा उन पर मुकदमा चलाता है।**
  - ICC अंतिम उपाय वाले न्यायालय के रूप में काम करता है, क्योंकि कई बार देशों के न्यायालयों में उपर्युक्त अपराधों से संबंधित आरोपियों या अपराधियों को सजा नहीं मिल पाती है। यह **रोम संविधि द्वारा शासित** होता है।
  - **भारत ने ICC के रोम संविधि (कानून) पर न तो हस्ताक्षर किए हैं और न ही इसकी पुष्टि** की है।
- **अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ):** 1945 में स्थापित ICJ संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अंग है। यह संयुक्त राष्ट्र के छह प्रमुख अंगों में से एक है।
  - ICJ का कार्य देशों द्वारा लाए गए **कानूनी विवादों को निपटाना** और संयुक्त राष्ट्र के अधिकृत अंगों एवं विशेष एजेंसियों द्वारा **संदर्भित किये जाने वाले कानूनी प्रश्नों पर सलाहकारी परामर्श देना** है।
- **वियना कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ ट्रीटीज़ (VCLT):** यह देशों के बीच संपन्न होने वाली संधियों को विनियमित करने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। इसे **"संधियों पर संधि (Treaty on treaties)"** के रूप में भी जाना जाता है। यह उन व्यापक नियमों, प्रक्रियाओं और दिशा-निर्देशों को स्थापित करता है जिनके आधार पर **संधियों को परिभाषित किया जाता है, मसौदा तैयार किया जाता है, उन्हें संशोधित किया जाता है, उनकी व्याख्या की जाती है और उनका सामान्य संचालन** किया जाता है।

उदार विश्व व्यवस्था के तत्व और चालक

आर्थिक

- विकास संस्थान: (संयुक्त राष्ट्र, गैर–सरकारी संगठन)
- ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशन, एसोशिएसन
- वैश्विक आर्थिक संस्थान (WTO, G-20)
- IMF, विश्व बैंक
- क्षेत्रीय और द्विपक्षीय व्यापार संधियां
- श्रमिकों की सीमा–पार आवाजाही
- व्यापार नेटवर्क और FDI

राजनीतिक–सैन्य

- सामूहिक सुरक्षा संस्थान (हथियार नियंत्रण, विश्वास निर्माण के उपाय)
- वैश्विक क्षेत्रीय राजनीतिक संस्थान (आसियान, यूरोपीय संघ)
- सुरक्षा मानदंड: गैर–आक्रामकता, अप्रसार
- युद्ध से जुड़े कानून/ जिनेवा कन्वेंशन
- गठबंधन (Alliance) संबंध

अन्य

- मानवाधिकार, मानदंड, संधियां, संस्थाएं
- मुद्दा–आधारित कार्यात्मक संगठन
- क्षमता–निर्माण संस्थान
- वैश्विक विशेषज्ञ नेटवर्क

विश्व व्यवस्था के तत्व

विश्व व्यवस्था के चालक: कारण और योगदान

- पहले के परिणामों पर निर्भरता, परसीव्ड मॉमेंटम
- अमेरिकी शक्ति और नेतृत्व
- साझा हित और सहयोग की आवश्यकता
- साझा मूल्य और सामाजिक–आर्थिक प्रणालियां
- घरेलू राजनीतिक हित
- समाजीकरण: मानदंड, अपेक्षाएं, मूल्य

नियम–आधारित विश्व व्यवस्था के समक्ष कौन–सी चुनौतियां हैं?

द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, नियम–आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था (RBIO) में शांति, समृद्धि और स्वतंत्रता के अभूतपूर्व स्तर देखने को मिले हैं। यह उपलब्धि समान विचारधारा वाले सहयोगियों और भागीदारों के नेतृत्व में हासिल हुई है। हालांकि, अब यह बढ़ते दबाव का सामना कर रही है। संशोधनवादी, निरंकुश देशों के साथ महाशक्तियों में प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई है जिसे इस व्यवस्था के लिए एक प्रमुख चुनौती के रूप में देखा जा रहा है।

- **वैधता:** नियमों पर आधारित व्यवस्था को साकार करने एवं उसे बनाए रखने के लिए यह ज़रूरी है कि इन नियमों के प्रमुख और सबसे शक्तिशाली समर्थकों द्वारा इनका स्पष्ट रूप से पालन किया जाए।
  - उदाहरण के लिए– 2003 में संयुक्त राष्ट्र की विवादित सहमति से संयुक्त राज्य अमेरिका ने इराक पर आक्रमण कर दिया। इस आक्रमण ने संयुक्त राज्य अमेरिका के RBIO के प्रमुख रक्षक होने के दावे की पोल खोल दी।
  - इसके अलावा, चीन ने दक्षिण चीन सागर में विवादित द्वीपों के संबंध में UNCLOS के 2016 के फैसले को नजरअंदाज कर दिया। चीन ने विवादित द्वीपों के आस–पास के जल क्षेत्र पर अपने अधिकार को छोड़ने से इंकार कर दिया।

- **समता:** RBIO को व्यापक–हित के लिए काम करना चाहिए न कि किसी समूह या शक्ति के लिए। पश्चिमी यूरोप में लोकतंत्र और मानवाधिकारों के प्रति सम्मान की भावना स्थापित की गई लेकिन ऐसा पूर्वी यूरोप के लिए नहीं किया गया।
  - UNSC की सदस्यता आज के युग को प्रतिबिंबित नहीं करती है। इसमें विकासशील देशों का प्रतिनिधित्व कम है, और अफ्रीका या लैटिन अमेरिका से कोई स्थायी सदस्य नहीं है।
  - विऔपनिवेशीकरण ने अफ्रीका और एशिया में पश्चिमी प्रभाव को कम कर दिया, लेकिन इनके बाजार के प्रमुख क्षेत्रकों और वित्त के साधनों पर विदेशी आर्थिक प्रभुत्व ने इसका स्थान ले लिया है।
- **भू–राजनीतिक:** संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने की प्राथमिक जिम्मेदारी UNSC की है।
  - रूस और चीन सीरियाई प्रशासन के खिलाफ लाए जाने वाले किसी भी प्रस्ताव को अस्वीकार करने के लिए वीटो शक्ति का उपयोग करते हैं।
  - अमेरिका ने अपने स्वयं के और अपने सहयोगियों के हितों की रक्षा करने के लिए गाजा पट्टी में इजरायल को उसकी सशस्त्र कार्रवाइयों की निंदा से बचाने के लिए अपनी वीटो शक्ति का उपयोग किया है।
- **सामाजिक–आर्थिक:** 2008–09 के वैश्विक वित्तीय संकट का प्रभाव आर्थिक और वैचारिक दोनों स्तरों पर रहा था। इससे असंतोष फैला और स्थापित अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली की संरचनात्मक कमजोरियां सामने आईं।
  - उदाहरण के लिए– अंतर्राष्ट्रीय समझौतों से एकतरफा रूप से बाहर होना, जैसे कि ब्रेक्जिट के मामले में देखा जा सकता है। साथ ही, चीन की OBOR परियोजना के तहत ऋण जाल कूटनीति भी दुनिया के समक्ष उजागर हुई है।
- **संरक्षणवाद का उदय:** द्वितीय विश्व युद्ध के बाद व्यापार में एकीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई। 1990–2008 की अवधि में इसका स्वर्ण युग आया। इस दौरान कुल **वैश्विक GDP में वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार की हिस्सेदारी 39% से बढ़कर 61%** हो गयी। **2020 में वैश्विक GDP में इसकी हिस्सेदारी पुनः घटकर 52%** हो गयी। इसका कारण **बढ़ता संरक्षणवाद और गैर–टैरिफ तथा टैरिफ संबंधी बाधाओं में वृद्धि** हैं।
  - ब्रेक्जिट ने यूरोप में आवागमन की स्वतंत्रता और आर्थिक एकीकरण के सिद्धांतों को चुनौती दी है।
  - अमेरिका ने विश्व व्यापार संगठन की विवाद निपटान प्रणाली के अपीलीय निकाय में सदस्यों की नियुक्तियों को बाधित कर दिया है।

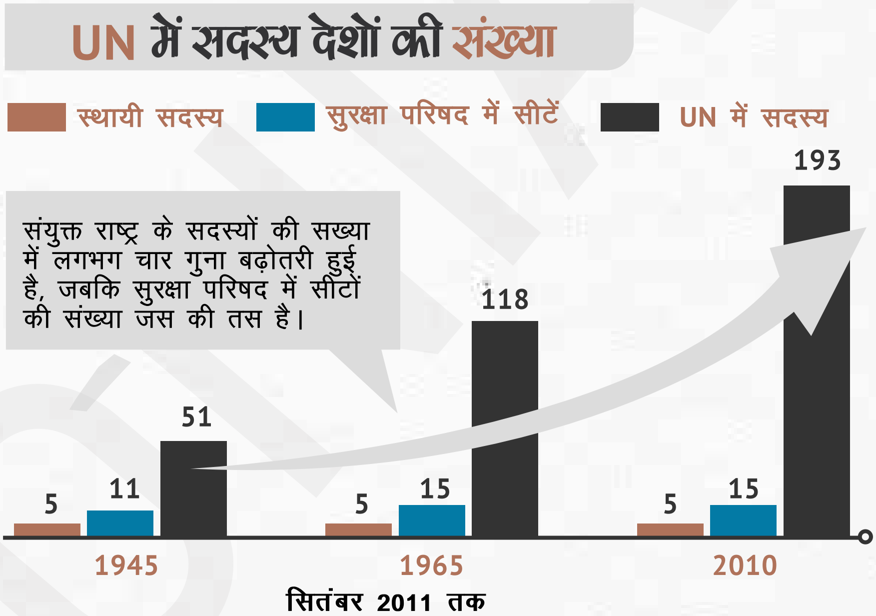

- **सुरक्षा:** RBIO व्यापक विनाश के हथियारों के प्रसार को रोकने, आतंकवाद पर अंकुश लगाने और शक्तिशाली देशों द्वारा शुरू किए गए युद्धों जैसे कि रूस द्वारा क्रीमिया प्रायद्वीप पर कब्जा करना तथा रूस के साथ यूक्रेन के चल रहे युद्ध को रोकने में सक्षम नहीं रही है।
  - उदाहरण के लिए– सीरिया में रासायनिक हथियारों का निरंतर उपयोग, गैर–राज्य अभिकर्ताओं द्वारा उत्पन्न खतरा और परमाणु प्रसार आदि।

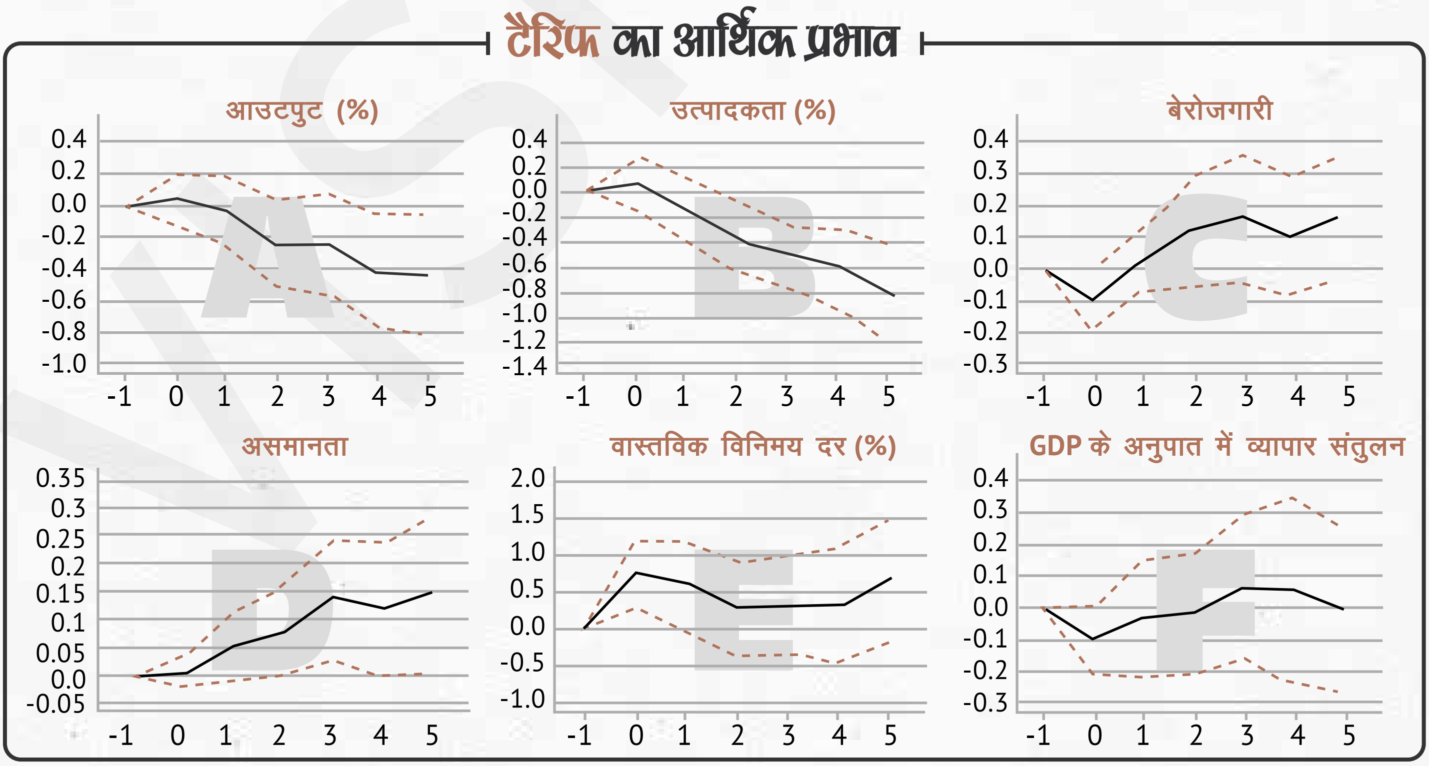

These results are for the full country sample

शक्ति तथा G-7 से E-7 (2050) की ओर बदलती अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था

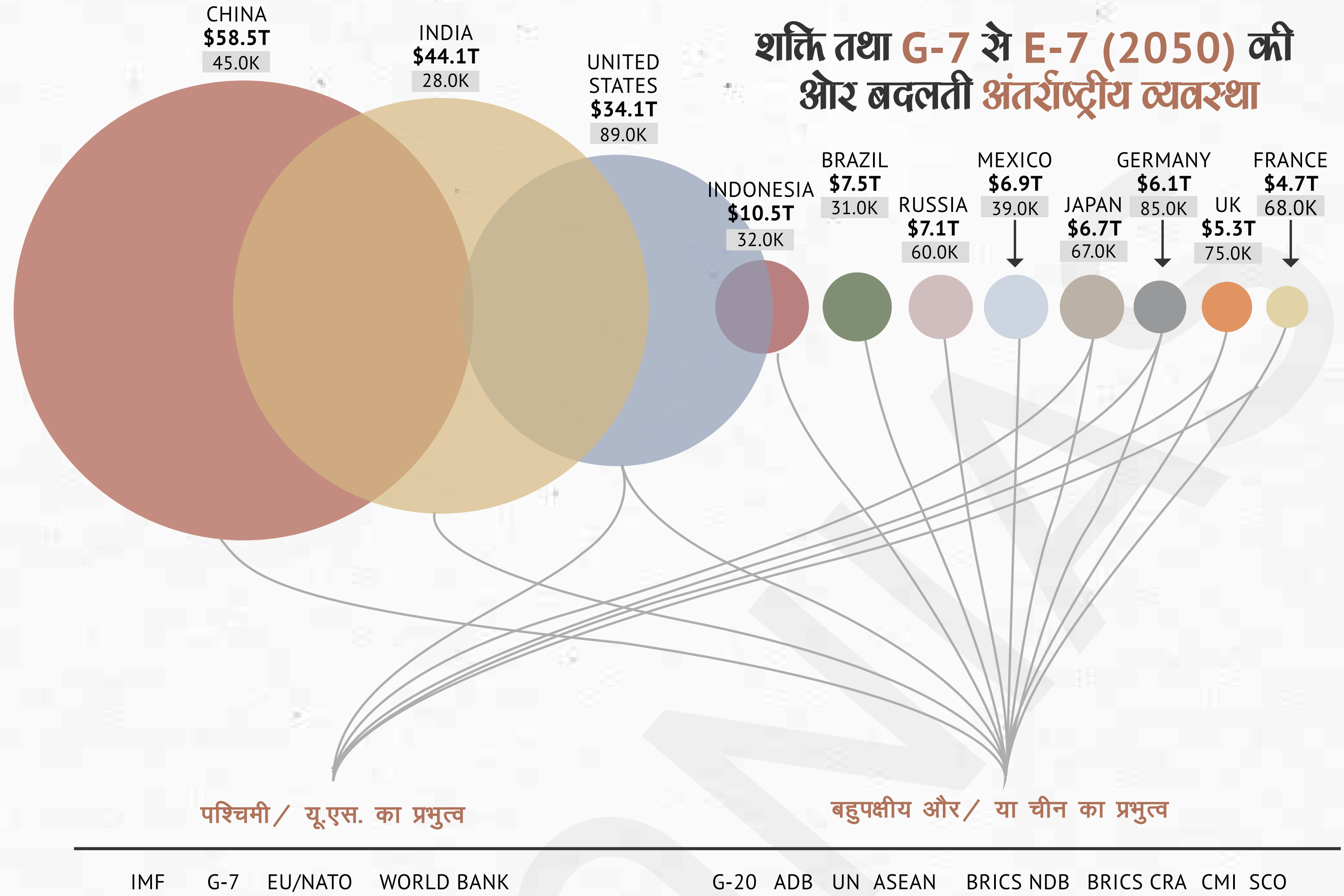

- **पर्यावरण:** अनेक विकसित देश UNFCCC के तहत संपन्न जलवायु समझौतों से बाहर निकल चुके हैं। यह दर्शाता है कि जलवायु परिवर्तन के लिए किए गए जलवायु समझौतों के कार्यान्वयन को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही यह इस संदर्भ में UNEP जैसे अंतर्राष्ट्रीय नियम–आधारित संस्थानों/ कार्यक्रमों की विफलता को भी उजागर करता है।
  - उदाहरण के लिए– 2009 में कोपेनहेगन में संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन में 2020 तक कम संपन्न देशों के लिए प्रति वर्ष 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर जुटाने का वादा किया गया था, जिसे अभी तक पूरा किया जाना बाकी है।
  - संयुक्त राज्य अमेरिका पेरिस जलवायु समझौते से बाहर हो गया था, हालांकि कुछ समय बाद वह फिर इसमें शामिल हो गया।
- **बाह्य अंतरिक्ष:** 1967 की बाह्य अंतरिक्ष संधि में अंतरिक्ष के लिए अंतर्राष्ट्रीय नियम–आधारित व्यवस्था निर्धारित की गई है। यह अंतरिक्ष के उपयोग में आने वाले त्वरित और नाटकीय परिवर्तनों के साथ तालमेल नहीं रख पाई है। इन परिवर्तनों को देखते हुए प्रासंगिक नियम और व्यवस्था को अपनाए जाने की आवश्यकता है।
  - चीन ने 2007 में एक बैलिस्टिक मिसाइल से एक पुराने मौसम उपग्रह को नष्ट करते हुए अपने गतिज ऊर्जा (Kinetic Energy) एंटी–सैटेलाइट हथियार (KE-ASAT) का सफलतापूर्वक परीक्षण किया।
  - USA द्वारा स्पेस फोर्स नाम से सेना की एक नई शाखा का गठन बाह्य अंतरिक्ष में हथियारों की एक नई दौड़ को जन्म दे सकता है।

संस्थागत संस्कृति

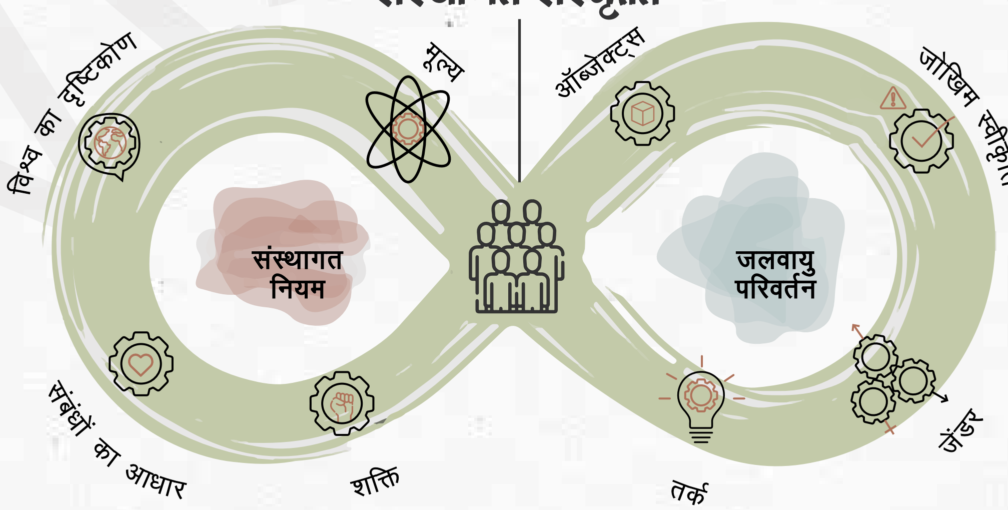

अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और विश्व व्यवस्था के पैटर्न पर कोविड-19 का प्रभाव

कोविड–19 महामारी का विश्व व्यवस्था पर गहरा और जटिल प्रभाव पड़ा है। इसने मानव जीवन को खतरे में डाला है और विश्व अर्थव्यवस्था एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को भी प्रभावित किया है। महामारी के बाद, वैश्विक मामलों के साथ–साथ देशों के मध्य संबंधों में बड़े, यहां तक कि गुणात्मक परिवर्तन देखे जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पर महामारी के प्रभावों को निम्नलिखित चार बदलती स्थितियों से दर्शाया गया है:

- **आर्थिक प्रभाव:** कोविड–19 के प्रकोप ने वैश्विक आर्थिक मंदी को उत्पन्न करते हुए विश्व अर्थव्यवस्था को काफी प्रभावित किया है। इसने आर्थिक गतिविधि की गतिशीलता को सीमित किया है और उपभोक्ता बाजार को संकुचित करने के साथ–साथ आपूर्ति श्रृंखला को भी बाधित कर दिया है।
  - विश्व व्यापार संगठन ने भविष्यवाणी की थी कि महामारी के कारण 2020 में वैश्विक व्यापार में 13% से 32% के बीच गिरावट आएगी।
- **बढ़ता राष्ट्रवाद और अलगाववाद:** कोविड–19 महामारी ने कुछ देशों में मौजूदा राष्ट्रवादी प्रवृत्तियों और वैश्वीकरण विरोधी प्रवृत्तियों को बढ़ावा दिया है।
  - कई देशों ने निर्यात प्रतिबंध लगाए हैं, उदाहरण के लिए– डिफेंस प्रोडक्शन एक्ट (DPA) के तहत, USA ने श्वासयंत्र (Respirators), सर्जिकल मास्क, PPE किट्स आदि के निर्यात को प्रतिबंधित कर दिया था।
- **असमानता में वृद्धि:** कोविड–19 महामारी के कारण 3.1 मिलियन से अधिक मौतें हुई हैं और 120 मिलियन लोग चरम गरीबी के सीमा में प्रवेश कर गए हैं। यह आगे अमीर एवं गरीब के बीच असमानता को और बढ़ा सकती है।
  - UN विश्व खाद्य कार्यक्रम ने चेतावनी दी है कि कोविड–19 अकाल का कारण बन सकता है और दुनिया में भुखमरी का सामना करने वाले लोगों की संख्या 130 मिलियन तक बढ़ सकती है।
- **नव बहुपक्षवाद:** संयुक्त राष्ट्र, विश्व व्यापार संगठन, IMF, विश्व बैंक, G-20 जैसे मौजूदा परस्पर सहयोग के मंच महामारी का सामना करने में विफल रहे हैं।
  - यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देशों के वैक्सीन राष्ट्रवाद ने कोविड–19 संबंधी कार्रवाई को बाधित किया है। वर्ष 2021 में उत्पादित आधे से अधिक वैक्सीन दुनिया की केवल 13% आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाले उच्च आय वाले देशों द्वारा एडवांस में खरीदी गई थी।
- **वैश्विक सामाजिक सुरक्षा और रक्षा को खतरा:** महिलाओं के खिलाफ हिंसा और मानवाधिकारों के हनन के मामलों में वृद्धि हुई है। ये दोनों ही हिंसा के अन्य रूपों को बढ़वा देते हैं।
  - सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था के बिना, कोविड जनित लॉकडाउन ने प्रवासी मजदूरों की पीड़ा को कई गुना बढ़ा दिया था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वे बेरोजगारी का सामना कर रहे थे और कई लोगों को अपने मूल स्थानों पर लौटने में बेहद मुश्किल हो रही थी।

कौन-कौन से जोखिम हैं?

विश्व आर्थिक फोरम ने 347 वरिष्ठ जोखिम विश्लेषकों के माध्यम से एक सर्वेक्षण किया और पाया कि मौजूदा खतरों द्वारा वैश्विक गिरावट (फॉल–आउट) में योगदान देने की संभावना सबसे अधिक है। अर्थव्यवस्था से लेकर पर्यावरण तक कोई भी क्षेत्र इससे अछूता नहीं है।

आर्थिक

- लंबे समय तक वैश्विक मंदी की स्थिति
- दिवालियापन और समेकन में वृद्धि
- उद्योग रिकवरी करने में विफल रहे हैं
- उच्च बेरोजगारी
- प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं का कमजोर होना
- उभरते हुए बाज़ारों का डूबना
- वैश्विक मुद्रास्फीति में तीव्र वृद्धि
- कम प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI)

सामाजिक

- कोविड–19 का एक और वैश्विक प्रकोप या अन्य संक्रामक रोग
- सरकार के पास आपातकालीन शक्तियां/ नागरिक स्वतंत्रता का ह्रास
- मानसिक स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव
- बढ़ती असमानता/ सामाजिक विभाजन
- राजनीतिक असंतोष और सरकार के प्रति अविश्वास

भू-राजनीतिक

- यात्रा/ व्यापार संबंधी आवगमन पर अधिक प्रतिबंध
- कोविड–19 संकट का भू–राजनीतिक दोहन
- विदेशी सहायता में कमी से गहराता मानवीय संकट
- उद्योगों का राष्ट्रीयकरण
- संकट के प्रति कार्रवाई जनित समर्थन/ निवेश का अभाव

तकनीकी

- कार्य–शैली की पद्धति में बदलाव के कारण साइबर हमले और डेटा धोखाधड़ी
- अत्यधिक ऑटोमेशन के कारण बेरोजगारी में वृद्धि
- प्रौद्योगिकी का अविवेकपूर्ण तरीके से तीव्र अंगीकरण
- IT सेक्टर में ब्रेकडाउन

पर्यावरण

- जलवायु संबंधी रणनीतियों के लिए निवेश जुटाने में विफलता
- वैश्विक डीकार्बोनाइजेशन प्रयासों में गिरावट

प्रौद्योगिकी विश्व व्यवस्था को किस प्रकार प्रभावित कर रही है?

तीव्र गति से होने वाले आविष्कार या प्रौद्योगिकी का प्रसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित कर सकता है, उदाहरण के लिए– द्वितीय विश्व युद्ध ने परमाणु हथियारों के विकास में मदद की। वर्तमान में कई परिवर्तनकारी प्रौद्योगिकियां सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरीकों से देशों के बीच प्रतिस्पर्धा को प्रभावित करती हैं।

सकारात्मक प्रभाव

- लोकतंत्र को मजबूत करने में: प्रौद्योगिकी ने कई तरीकों से लोकतांत्रिक व्यवस्था को लाभ पहुंचाया है, जैसे– नागरिक प्रौद्योगिकी की सहायता से सरकार से बेहतर रूप से जुड़ रहे हैं और उन्हें जवाबदेह बना रहे हैं। साथ ही, प्रौद्योगिकी शासन व्यवस्था में सुधार लाने के लिए एक प्रभावी उपकरण भी है, उदाहरण के लिए– ऑनलाइन शिकायत निवारण तंत्र, सोशल मीडिया के माध्यम से नागरिकों की पहुंच में वृद्धि आदि।
- सुरक्षा: प्रौद्योगिकी ने एजेंसियों के बीच संचार, खुफिया सूचना के साझाकरण आदि में सुधार किया है जिससे आतंकी हमलों को रोकने में मदद मिली है। साथ ही इससे, कट्टरपंथी तत्वों द्वारा उत्पन्न चुनौतियों से निपटने में भी विभिन्न एजेंसियों के मध्य समन्वय में सुधार हो सकता है।
  - चेहरे की पहचान करने वाली तकनीक के उपयोग से अपराधियों की गतिविधियों को ट्रैक करने और अमेरिका में ट्विन टावर पर हमले जैसी घटनाओं को रोकने में मदद मिल सकती है।

नकारात्मक प्रभाव

- प्रतिस्पर्धा: विभिन्न देश प्रौद्योगिकी पर एक–दूसरे की निर्भरता का फायदा उठाने और अपनी भू–राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता का समाधान करने हेतु इसका उपयोग करने के लिए उत्सुक हैं। साइबर स्पेस अब प्रतिस्पर्धा और संघर्ष का अखाड़ा बन गया है। इसके अलावा, महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे और सेवाओं पर बढ़ते साइबर हमले राष्ट्रीय सुरक्षा के समक्ष चुनौती पेश करते हैं।
- डिजिटल तानाशाही: तानाशाही शासन व्यवस्थाएं घरेलू और विदेशी आबादी की निगरानी, उनके दमन और उनके विचारों को नियंत्रित करने के लिए डिजिटल सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करती हैं।
  - उदाहरण के लिए– चीन ने शिनजियांग में उइगर नृजातीय अल्पसंख्यकों के विरुद्ध लक्षित चेहरे की पहचान (Targeted facial recognition), AI, बिग डेटा और आनुवंशिक परीक्षण के लिए अलीबाबा, सेंसटाइम और मेगवी जैसी घरेलू प्रौद्योगिकी कंपनियों की सेवाओं का प्रयोग किया है।

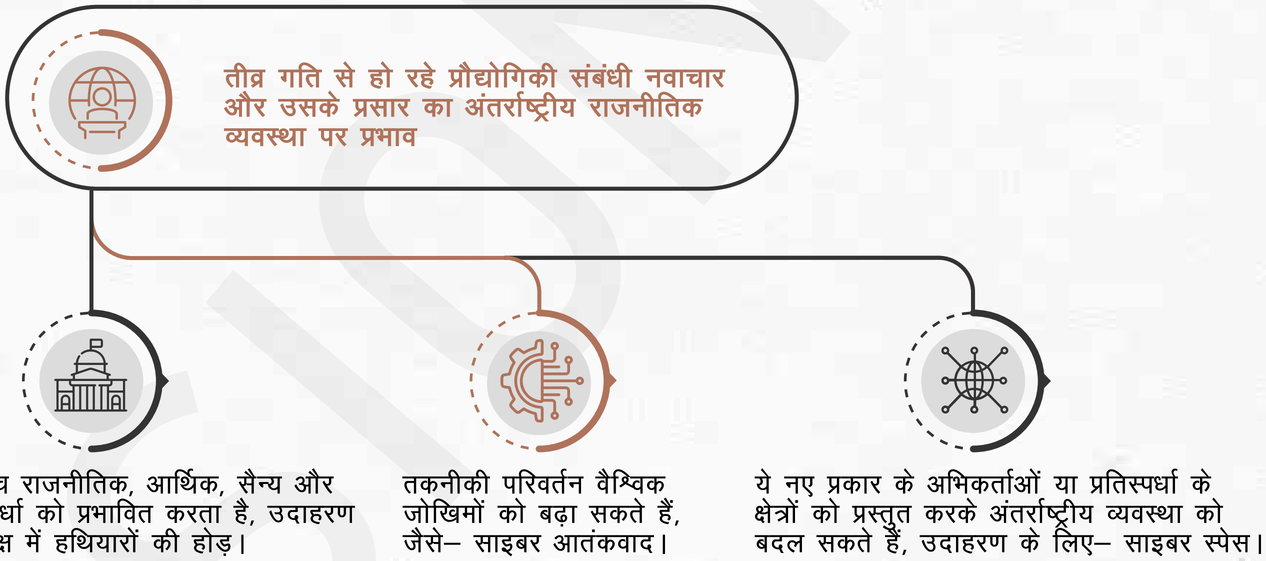

बदलती या नियम–आधारित विश्व व्यवस्था में भारत की क्या भूमिका है?

21वीं शताब्दी को एशियाई युग कहा जाता है। इसमें चीन और भारत अग्रणी भूमिका में होंगे। शीत युद्ध की समाप्ति और वैश्वीकरण का बढ़ता प्रभाव भारत को क्षेत्रीय तथा वैश्विक स्तर पर अपनी स्थिति एवं भूमिका को फिर से निर्धारित करने के लिए प्रेरित कर रहा है।

भारत की प्रभावी भूमिका:

- आर्थिक: भारत पश्चिमी प्रौद्योगिकी, उपकरण और उत्पादों के लिए एक विशाल तथा उभरता हुआ बाजार बन सकता है। इसके अलावा वर्तमान में भारत विश्व की पांचवीं सबसे बड़ी (लगभग 3 ट्रिलियन डॉलर की) अर्थव्यवस्था बन गया है।
  - संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत के साथ रणनीतिक सहयोग के एक नए युग की नींव रखने के लिए कई कदम उठाए हैं, उदाहरण के लिए– वह भारत के साथ मालाबार नामक एक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास का आयोजन कर रहा है। साथ ही, अमेरिका ने अपने पैसिफिक कमांड का नाम बदलकर इंडो–पैसिफिक कमांड कर दिया है आदि।
- राजनीतिक: भारत कैरेबियन कम्युनिटी (CARICOM) और पैसिफिक आइलैंड फोरम (PIF) के माध्यम से अनेक द्वीपीय देशों के साथ अपना संपर्क बढ़ा रहा है। संयुक्त राष्ट्र में इन द्वीपीय देशों की संख्या 40 से भी अधिक है। ऐसे में संयुक्त राष्ट्र में एवं अन्य बहुपक्षीय मंचों पर सदस्य देशों द्वारा वोटिंग के मामले उनका स्पष्ट प्रभाव है, जिसे देखते हुए इन द्वीपीय देशों को विश्व की प्रमुख शक्तियां अपनी ओर आकर्षित करती हैं।

- **सुरक्षा:** हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) **भारत और चीन के बीच तनाव का केंद्र रहा है।** इस क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव के कारण, भारत ने **चीन की 'स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नीति'** का मुकाबला करने के लिए अपनी **'नेकलेस ऑफ डायमंड रणनीति'** तैयार की थी।
  - **चीन की आक्रामकता और विस्तारवादी नीतियों का मुकाबला करने के लिए** भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने मिलकर चार इंडो-पैसिफिक राष्ट्रों के चतुर्भुज सुरक्षा संवाद, अर्थात् QUAD का गठन किया है।
- **भू-राजनीति:** गुटनिरपेक्षता के युग से लेकर द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी तथा बहुपक्षीय समूहों की सदस्यता तक, {जैसे- SCO (शंघाई सहयोग संगठन), BRICS (ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका) और अब I2U2 (भारत, इजराइल, UAE और US)} सभी मामलों में भारतीय कूटनीति के तहत देश ने राष्ट्रीय आर्थिक और सामरिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए समझदारी से कदम उठाए है।
- **पर्यावरण:** 2070 तक कार्बन के निवल शून्य उत्सर्जक बनने के संकल्प से लेकर, 2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता हासिल करने जैसे संकल्पों के जरिए भारत पर्यावरण के मुद्दों पर आगे बढ़कर नेतृत्व कर रहा है।

बदलती विश्व व्यवस्था से निपटने के लिए देशों में **18 प्रमुख निर्धारण कारक हैं** (इन्फोग्रफिक देखें)।

- एक विनम्र शक्ति के रूप में भारत आज **बड़े देशों में छठे स्थान पर है।** यह बताता है कि भारत अपनी **मजबूत आर्थिक और वित्तीय स्थिति के साथ धीरे-धीरे आगे बढ़ रहा है** तथा देश की मुख्य ताकत इसकी लागत प्रतिस्पर्धी श्रम बल है।

यदि भारत को वैश्विक मामलों में नेतृत्व करना है तो उसके लिए आवश्यक शर्तें क्या हैं?

आर्थिक महाशक्ति बनना और उसका लाभ उठाना	इसके लिए भारत को वैश्विक व्यापार और निवेश करने की क्षमता के मामले में एक मजबूत अर्थव्यवस्था बनना होगा।
राजनीतिक शक्ति और प्रभाव	अपनी अंतर्राष्ट्रीय सहभागिता से प्राप्त विश्वसनीयता और सम्मान को बढ़ाना होगा।
हार्ड पावर और सुरक्षा	सैन्य क्षमताओं में वृद्धि करनी होगी।
सॉफ्ट पावर	अहिंसा, स्वतंत्रता, समानता, बहुलतावाद जैसे मूल्यों और संस्कृति का प्रसार करना होगा।
घरेलू स्थिरता और गठबंधन	संसाधनों को दूसरों के लिए उपलब्ध कराने और विश्व के विभिन्न देशों के साथ संलग्नता बढ़ाने की आवश्यकता है।

- हालांकि, दूसरी तरफ, **बड़े घरेलू संघर्ष,** शिक्षा में कमजोर स्थिति, नवाचार और प्रौद्योगिकी में खराब प्रदर्शन, भ्रष्टाचार, कानून का अकुशल शासन और आरक्षित मुद्रा की कमी जैसी समस्याएं इसके प्रदर्शन पर **नकारात्मक प्रभाव डाल सकती** हैं।

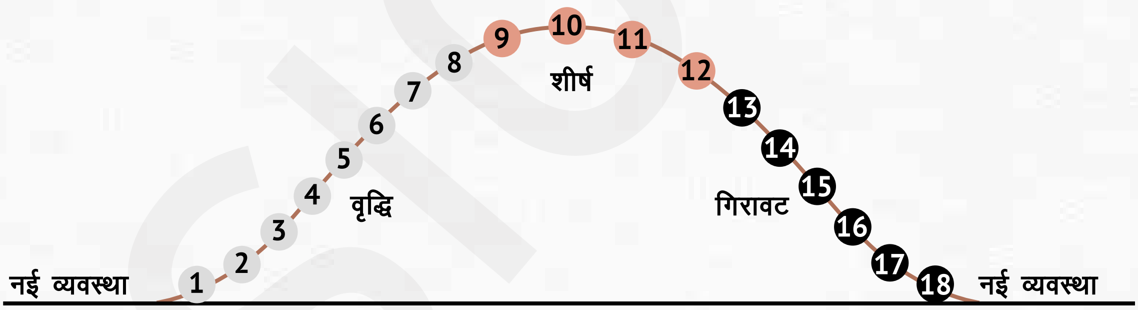

1. मजबूत नेतृत्व
2. आविष्कार क्षमता
3. शिक्षा
4. मजबूत संस्कृति
5. संसाधनों का बेहतर आवंटन
6. स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धात्मकता
7. मजबूत आय वृद्धि
8. मजबूत बाजार और वित्तीय केंद्र
9. कम उत्पादकता
10. क्षमता से अधिक विस्तार
11. प्रतिस्पर्धा में कमी
12. धन अंतराल
13. बड़े कर्ज
14. धन का मुद्रण
15. आंतरिक संघर्ष
16. रिजर्व करेंसी का ह्रास
17. कमजोर नेतृत्व
18. गृह-युद्ध / क्रांति

नियम-आधारित विश्व व्यवस्था में सुधार के लिए कौन-से कदम उठाने की आवश्यकता है?

- **संस्थाओं को नया रूप देना**
  - **ब्रेटन वुड्स प्रणाली को नया रूप देना:** एक नए 'ब्रेटन वुड्स' सम्मेलन में IMF और विश्व बैंक के संस्थागत आधार को फिर से तैयार करने की आवश्यकता है। साथ ही, इसमें अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग के लिए समर्थन को भी प्रभावी रूप से दोहराया जाना चाहिए।
    - ✓ IMF और विश्व बैंक के कार्यकारी बोर्ड्स की बनावट एवं संरचना दोनों में सुधार की आवश्यकता है। राष्ट्रीयता के आधार पर प्रत्येक संस्थान के प्रमुख की नियुक्ति की मौजूदा प्रणाली को भी समाप्त किया जाना चाहिए।
  - **शक्ति संतुलन:** यह आवश्यक है कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में सुधार शक्ति संतुलन में परिवर्तन को प्रतिबिंबित करे, लेकिन इसके साथ ही वैश्विक शासन की प्रकृति का मौलिक पुनर्मूल्यांकन भी होना चाहिए।
    - ✓ लैटिन अमेरिका, अफ्रीका जैसे विश्व के अब तक के गैर-प्रतिनिधित्व वाले क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्रदान करके UNSC में सुधार किया जाना चाहिए, साथ ही वीटो पावर के उपयोग में पारदर्शिता लाने की भी आवश्यकता है।
- **अनुकूलन**
  - **वैश्विक व्यापार:** WTO की प्रभावशीलता संरचनात्मक मुद्दों और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विकास के चलते कमज़ोर हो गई है। इन कारकों ने वैश्विक व्यापार की प्रकृति को भी बदल दिया है। इस प्रकार, वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देने के लिए तत्काल उपायों की आवश्यकता है।
    - ✓ WTO की विवाद निपटान प्रणाली के अपीलीय निकाय में सदस्यों की नियुक्तियों को फास्ट ट्रैक किया जाना चाहिए। इसके साथ ही कृषि पर समझौता (Agreement on Agriculture: AoA) जैसे लंबित मुद्दों का जल्द-से-जल्द समाधान किया जाना चाहिए।
    - ✓ खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता आदि के संबंध में मानक दिशा-निर्देश प्रदान करके **टैरिफ और गैर-टैरिफ बाधाओं में सुधार** किया जाना चाहिए।
    - ✓ सेवाओं के व्यापार पर सामान्य समझौते (General Agreement on Trade in Services: GATS) में शामिल सेवाओं के व्यापार के लिए WTO के ढांचे को संशोधित किया जाना चाहिए। इससे सॉफ्टवेयर, डेटा एवं अन्य डिजिटल बौद्धिक संपदाओं आदि सहित डिजिटल व्यापार को WTO के दायरे में लाया जा सकेगा।
  - **बाह्य अंतरिक्ष:** समकालीन या भावी घटनाक्रमों के समाधान के लिए **बाह्य अंतरिक्ष को नियंत्रित करने वाले मानदंडों और नियमों को संशोधित करने तथा उन्हें प्रासंगिक बनाने की आवश्यकता है।** इन घटनाक्रमों में एस्टेरॉइड माइनिंग, सैटेलाइट्स के मालिकों की बढती संख्या, 'मिनी-सैटेलाइट्स' का उद्भव, साइबर युद्ध, और उपग्रहों की सुरक्षा के लिए 'रक्षात्मक' अंतरिक्ष हथियार की संभावित तैनाती आदि शामिल हैं।
    - ✓ बाह्य अंतरिक्ष को नियंत्रित करने वाली एक वैश्विक आचार संहिता विकसित करने के लिए **समान विचारधारा वाले देशों को** UNOOSA (यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर आउटर स्पेस अफेयर्स), COPUOS (कमेटी ऑन द पीसफुल यूज़ ऑफ आउटर स्पेस) और ITU (इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशनयूनियन) जैसे **संयुक्त राष्ट्र निकायों के साथ जुड़ना चाहिए।**
- **रक्षा**
  - **विवाद निपटान:** अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को **अंतर्राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय चिंता के जटिल/ संवेदनशील मामलों के निर्णय व समाधान के लिए** कदम उठाने चाहिए।
    - ✓ **अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) में सुधार** की आवश्यकता है। साथ ही, समय के साथ इसे एक अनिवार्य सार्वभौमिक न्यायालय बनाया जाना चाहिए, जिसके क्षेत्राधिकार के अधीन संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य आते हों।
    - ✓ **अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) की पहुंच और प्रभावशीलता** में वृद्धि के साथ ICC के गिरफ्तारी वारंट और निर्णयों को मजबूती से लागू करना चाहिए।
  - **मानवाधिकार:** अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को संयुक्त राष्ट्र चार्टर की प्रस्तावना में उल्लेखित शब्दों के अनुसार **मूल मानवाधिकारों में विश्वास को पुनः दोहराना चाहिए।**
    - ✓ **मानवाधिकार परिषद में सुधार किया जाना चाहिए।** इसकी संरचना, सदस्यता और गतिविधियां निष्पक्ष, होनी चाहिए। इसे विश्व के लोगों का प्रतिनिधित्व करने के साथ-साथ राजनीतिकरण के अधीन नहीं होना चाहिए।

निष्कर्ष

1945 के यू.एन. चार्टर के तहत, इसे अपनाए जाने के दस वर्षों के भीतर इसके प्रावधानों के व्यापक संशोधन और मूल्यांकन की कल्पना की गई थी। इसका मूल्यांकन लंबे समय से लंबित है। यह मूल्यांकन विधि के अंतर्राष्ट्रीय शासन की "प्रणालीगत विशेषता" और नियमों पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को सुनिश्चित करने पर केंद्रित होना चाहिए। वैश्विक समुदाय के पास यह अवसर है कि वह अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिए अस्थिर व शक्ति-आधारित दृष्टिकोण से अलग एक सकारात्मक परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़े। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों को मजबूत करने की दिशा में कार्य करना चाहिए तथा शांतिपूर्ण, समृद्ध और न्यायपूर्ण विश्व के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पारदर्शी एवं जवाबदेह शासन प्रणाली को मजबूत करने हेतु प्रतिबद्ध होना चाहिए।

टॉपिक- एक नज़र में: नियम-आधारित विश्व व्यवस्था

विश्व व्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के मुद्दों से संबंधित है। इसमें राष्ट्र-राज्यों एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों, सरकारों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का आपसी संबंध शामिल है। इस प्रकार, विश्व व्यवस्था के लिए वैकल्पिक रूप से 'ग्लोबल ऑर्डर' शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। नियम-आधारित व्यवस्था को सभी देशों द्वारा सहमत नियमों के अनुसार अपनी गतिविधियों का संचालन करने के लिए एक साझा प्रतिबद्धता के रूप में वर्णित किया गया है। ये नियम समय के साथ विकसित होते हैं, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय कानून, क्षेत्रीय सुरक्षा व्यवस्था, व्यापार समझौते, सांस्कृतिक व्यवस्था आदि।

नियम-आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था (RBIO) की आवश्यकता क्यों है?

- इससे मुक्त बाजार, खुले व्यापार और वित्त के आधार पर एक परस्पर जुड़ी वैश्विक अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलता है, उदाहरण के लिए- विश्व व्यापार संगठन।
- यह विवादों पर चर्चा करने और उन्हें निपटाने, राष्ट्रों की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करने तथा सामूहिक विनाश के हथियारों के प्रसार को प्रतिबंधित करने के लिए एक मंच प्रदान करती है, उदाहरण के लिए- UN, IMF, UNSC आदि।
- यह राष्ट्रों के बीच शांतिपूर्ण, अपेक्षित और सहकारितापूर्ण व्यवहार को प्रोत्साहित करने वाले नियम लागू करती है, जो उदार मूल्यों और स्वतंत्रता, समानता जैसे सिद्धांतों के अनुरूप हों।
- यह लोकतांत्रिक मूल्यों और मानवाधिकारों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है तथा इससे भाईचारे और बंधुत्व की भावना को बढ़ावा मिलता है, उदाहरण के लिए- UNHRC आदि।

नियम-आधारित विश्व व्यवस्था को सुनिश्चित करने वाली संस्थाएं

- राजनीतिक: यह पूरे विश्व में शांति और सुरक्षा बनाए रखने, मानवाधिकारों की रक्षा करने तथा अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को बनाए रखने का काम करता है।
- आर्थिक: ब्रेटन वुड संस्थाओं (IMF और विश्व बैंक) के गठन का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देते हुए वैश्विक एकीकरण के लाभों को पुनर्बहाल करना और उन्हें बनाए रखने में मदद करना था।
- सामाजिक: संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (UNHRC) संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के भीतर एक अंतर-सरकारी निकाय है जो मानवाधिकारों के प्रचार-प्रसार और संरक्षण के लिए उत्तरदायी है।
- पर्यावरण: संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के भीतर संधारणीय विकास के पर्यावरणीय आयाम के कार्यान्वयन में सुसंगतता को बढ़ावा देने की दिशा में कार्य कर रहा है।
- विवाद निपटारा: अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) नरसंहार, मानवता के खिलाफ अपराध आदि से संबंधित अपराधों के लिए आरोपी व्यक्तियों की जांच करता है और उन पर मुकदमा चलाता है।
  - ICC रोम संविधि द्वारा शासित है। ICC के रोम संविधि पर भारत ने न तो हस्ताक्षर किए हैं और न ही इसकी पुष्टि की है।

नियम-आधारित विश्व व्यवस्था के समक्ष चुनौतियां

- समानता: RBIO को व्यापक-हित के लिए काम करना चाहिए न कि किसी समूह या शक्ति के लिए। पश्चिमी यूरोप में लोकतंत्र और मानवाधिकारों के प्रति सम्मान की भावना स्थापित की गई, लेकिन ऐसा पूर्वी यूरोप के लिए नहीं किया गया।
- भू राजनीतिक: संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने की प्राथमिक जिम्मेदारी UNSC की है। रूस और चीन सीरियाई प्रशासन के खिलाफ लाए जाने वाले किसी भी प्रस्ताव को अस्वीकार करने के लिए वीटो शक्ति का उपयोग करते हैं।
- सामाजिक-आर्थिक: 2008-09 के वैश्विक वित्तीय संकट का प्रभाव आर्थिक और वैचारिक दोनों स्तरों पर रहा था। इससे विश्व में असंतोष फैला और स्थापित अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली की संरचनात्मक कमजोरियां एवं पक्षपात सामने आए, उदाहरण के लिए- चीन की OBOR परियोजना की ऋण जाल नीति।
- संरक्षणवाद का उदय: 1990-2008 के बाद से, GDP में वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार की हिस्सेदारी कम होकर 2020 में वैश्विक GDP की लगभग 52% हो गई। इसका कारण बढ़ता संरक्षणवाद और गैर-टैरिफ तथा टैरिफ संबंधी बाधाओं में वृद्धि है।
- सुरक्षा: RBIO व्यापक विनाश के हथियारों के प्रसार को रोकने, आतंकवाद पर अंकुश लगाने और रूस के क्रीमिया प्रायद्वीप और यूक्रेन के साथ चल रहे युद्ध को रोकने में असमर्थ है।
- पर्यावरण: कई विकसित देश UNFCCC के तहत संपन्न जलवायु समझौतों से बाहर निकल चुके हैं। यह दर्शाता है कि जलवायु परिवर्तन के लिए किए गए जलवायु समझौतों के कार्यान्वयन को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही यह इस संदर्भ में UNEP जैसे अंतर्राष्ट्रीय नियम-आधारित संस्थानों/ कार्यक्रमों की विफलता को भी उजागर करता है, उदाहरण के लिए- एक समय संयुक्त राज्य अमेरिका पेरिस जलवायु समझौते से पीछे हट गया था।

बदलती विश्व व्यवस्था में भारत की भूमिका

- आर्थिक: भारत पश्चिमी प्रौद्योगिकी, उपकरणों के लिए एक उभरता हुआ बाजार है और दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी (लगभग 3 ट्रिलियन डॉलर की) अर्थव्यवस्था बन गया है।
- राजनीतिक: भारत कैरेबियन कम्युनिटी (CARICOM) और पैसिफिक आइलैंड फोरम (PIF) के माध्यम से द्वीपीय देशों के साथ अपना संपर्क बढ़ा रहा है। संयुक्त राष्ट्र में इन द्वीपीय देशों की संख्या 40 से भी अधिक है। ऐसे में संयुक्त राष्ट्र में एवं अन्य बहुपक्षीय मंचों पर सदस्य देशो द्वारा वोटिंग के मामले उनका स्पष्ट प्रभाव है, जिसे देखते हुए इन द्वीपीय देशों को विश्व की प्रमुख शक्तियां अपनी ओर आकर्षित करती हैं।
- सुरक्षा: हिंद महासागर क्षेत्र भारत और चीन के बीच तनाव का केंद्र रहा है। इस क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव के कारण, भारत ने चीन की 'स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नीति' का मुकाबला करने के लिए अपनी 'नेकलेस ऑफ डायमंड रणनीति' तैयार की है।
- भू-राजनीति: गुटनिरपेक्षता के युग से लेकर द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी तथा बहुपक्षीय समूहों की सदस्यता तक, (जैसे- SCO, ब्रिक्स, I2U2) सभी मामलों में भारतीय कूटनीति के तहत देश ने राष्ट्रीय आर्थिक और सामरिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए समझदारी से कदम उठाए हैं।
- पर्यावरण: 2070 तक कार्बन के निवल शून्य उत्सर्जक बनने के संकल्प से लेकर, 2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता हासिल करने जैसे संकल्पों के जरिए भारत पर्यावरण के मुद्दों पर आगे बढ़कर नेतृत्व कर रहा है।

नियम-आधारित विश्व व्यवस्था में सुधार के लिए उठाए जाने वाले आवश्यक कदम

- ब्रेटन वुड्स प्रणाली को नया रूप देना: एक नए 'ब्रेटन वुड्स' सम्मेलन में IMF और विश्व बैंक के संस्थागत आधार को फिर से तैयार करने की आवश्यकता है। साथ ही, इसमें अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग के लिए समर्थन को भी प्रभावी रूप से दोहराया जाना चाहिए। IMF और विश्व बैंक के कार्यकारी बोर्ड्स की बनावट और संरचना दोनों में सुधार की आवश्यकता है।
- शक्ति संतुलन: यह आवश्यक है कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में सुधार शक्ति संतुलन में परिवर्तन को प्रतिबिंबित करे, लेकिन इसके साथ ही वैश्विक शासन की प्रकृति का मौलिक पुनर्मूल्यांकन भी होना चाहिए।
- वैश्विक व्यापार: WTO की प्रभावशीलता संरचनात्मक मुद्दों और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विकास के चलते कमज़ोर हो गयी है। इन कारकों ने वैश्विक व्यापार की प्रकृति को भी बदल दिया है। इस प्रकार, वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देने के लिए तत्काल उपायों की आवश्यकता है।
  - WTO की विवाद निपटान प्रणाली के अपीलीय निकाय में सदस्यों की नियुक्तियों को फास्ट ट्रैक करने की आवश्यकता है तथा कृषि पर समझौता जैसे लंबित मुद्दों का जल्द-से-जल्द समाधान करना चाहिए।
- बाह्य अंतरिक्ष: समकालीन या भावी घटनाक्रमों के समाधान के लिए बाह्य अंतरिक्ष को नियंत्रित करने वाले मानदंडों और नियमों को संशोधित करने तथा उन्हें प्रासंगिक बनाने की आवश्यकता है। इन घटनाक्रमों में एस्टेरॉइड माइनिंग, सैटेलाइट्स के मालिकों की बढती संख्या, 'मिनी-सैटेलाइट्स' का उद्भव, साइबर युद्ध, और उपग्रहों की सुरक्षा के लिए 'रक्षात्मक' अंतरिक्ष हथियार की संभावित तैनाती आदि शामिल हैं। समकालीन या संभावित विकास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए बाह्य अंतरिक्ष को नियंत्रित करने वाले मानदंडों और नियमों को संशोधन करने की आवश्यकता है।
- विवाद निपटान: अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को अंतर्राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय चिंताओं के जटिल/ संवेदनशील मामलों के निर्णय और समाधान के लिए कदम उठाने चाहिए।
- मानवाधिकार: अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को संयुक्त राष्ट्र चार्टर की प्रस्तावना में उल्लेखित शब्दों के अनुसार मूल मानवाधिकारों में विश्वास को पुनः दोहराना चाहिए।